

बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या - 05/2020 के अन्तर्गत खनिज विकास पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश-

क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	मंगलवार 16.11.2021	500189, 500199, 500204, 500233, 500313, 500351, 500455, 500460, 500487, 500495, 500499, 500516, 500528, 500569, 500611, 500633, 500641, 500680, 500690, 500700, 500804, 500830	500849, 500859, 500910, 500917, 500940, 500971, 500981, 500987, 501014, 501019, 501032, 501050, 501107, 501127, 501206, 501208, 501241, 501246, 501293

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-I भी उपलब्ध रहेगा जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।
3. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-
 - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
 - (ii) एम.एससी., भूगर्भ विज्ञान/सम्बद्ध भूगर्भ विज्ञान, एम.टेक./खनन अभियंत्रण में उपाधि का अंक पत्र।
M.Sc. Geology/ Applied Geology/ M.Tech. in Geology / Degree in Mining Engineering Marks sheet.
 - (iii) एम.एससी., भूगर्भ विज्ञान/सम्बद्ध भूगर्भ विज्ञान, एम.टेक./खनन अभियंत्रण में उपाधि का प्रमाण पत्र।
M.Sc. Geology/Applied Geology/ M.Tech. in Geology / Degree in Mining Engineering Certificate.
 - (iv) AMIE (Section A & B) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय AMIE में दिनांक 31.05.2013 के पूर्व Enorollment in institution with permanent recognition का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वैसी स्थिति में उनके द्वारा बी.टेक. उत्तीर्ण की समतुल्यता के रूप में मान्यता प्राप्त होने संबंधी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा।
 - (v) UPES, Dehradun से बी. टेक. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय डिग्री की मान्यता AICTE/UGC से प्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (vi) Foreign Diploma Degree (Mining) से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को Bachelor of Engineering के Equivalent होने के संबंध में सरकारी संस्थान/वैधानिक संस्था से निर्गत साक्ष्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।
 - (viii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
 - (ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र- (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।
 - (x) दिव्यांगता के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए दिव्यांगता सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
नोट:- अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
 - (xi) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 - (xii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग/संस्थान के प्रधान/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
 - (xiii) मूल पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रेमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30.06.2020 के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

यदि आप अपनी आयु, शैक्षिक योग्यताओं, जाति/कोटि तथा दिव्यांगता के स्तर, आयु में रियायत आदि के समर्थन में अपने साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

4. लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात् अन्तर्वीक्षा हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को अन्तर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अन्तिम परीक्षाफल हेतु तैयार की जानेवाली मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।
5. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा - मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि मूल में एवं इसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
6. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
7. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू-टूथ, Wifi, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
8. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना